भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4807

जिसका उत्तर 21.08.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे विकास कार्यकलाप

†4807. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्थानीय आबादी के जीवन और आजीविका को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का विकास करने का है और यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार स्थानीय आबादी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यकलापों को क्रियान्वित करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि केरल में एनएच-66 के आसपास रहने वाली स्थानीय आबादी और एनएच-66 का उपयोग करने वाले वाहनों के लिए पर्याप्त संख्या में अंडरपास की कमी है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सिग्नल लाइटों की बढ़ती संख्या के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो आवश्यकतानुसार फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार कोल्लम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एनएच-66 पर नींदकारा में एक पैदल यात्री अंडरपास और थिरुमुक्कु में एक अतिरिक्त अंडरपास के निर्माण या थिरुमुक्कु, चथन्नूर में प्रस्तावित अंडरपास को चौड़ा करने के अनुरोध पर विचार करेगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) अवसंरचना क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक है और तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक वृद्धि एवं विकास में योगदान देता है। राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का विकास यातायात सघनता, संपर्कता की आवश्यकता, सड़क की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्यों में, जहाँ भी संभव हो, सर्विस रोड/स्लिप रोड, अंडर पास, लंबवत जल निकासी और क्रॉस पैसेज अवसंरचनाओं के प्रावधान शामिल हैं, ताकि स्थानीय यातायात/जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सुगमता सुनिश्चित की जा सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत सरकार लोगों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मार्गस्थ सुविधाएँ भी विकसित करती है।

(ग) और (घ) सरकार ने केरल राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त 45 मीटर के प्रतिबंधित मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के अंतर्गत सिग्नल-मुक्त गलियारे के रूप में एनएच-66 को छह लेन के मानक के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया है। तदनुसार, स्थानीय यातायात/जनसंख्या की सुगम आवाजाही के लिए सर्विस रोड/स्लिप रोड, फ्लाईओवर, अंडरपास और फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) जैसी आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें

रियायत/अनुबंध करारों में पहले से ही प्रावधानित 343 क्रॉस पैसेज अवसंरचनाओं के अतिरिक्त, कार्यक्षेत्र परिवर्तन के माध्यम से प्रावधानित 181 क्रॉस पैसेज अवसंरचनाएं शामिल हैं।

(ङ) पैदल यात्रियों और वाहनों के आवागमन की सुविधा के लिए नींदकारा (किमी 484+592) पर एक छोटे वाहन अंडरपास (एसवीयूपी) उपलब्ध कराया गया है। किमी 484+300 पर पैदल यात्री अंडरपास के लिए अनुरोध इस सुविधा से केवल 292 मीटर की दूरी पर है। तदनुसार, कार्यस्थल की कमी के कारण, इतनी निकटता में दो ग्रेड-सेपरेटेड क्रॉसिंग का प्रावधान तकनीकी रूप से संभव नहीं है। तथापि, विभिन्न मांगों को ध्यान में रखते हुए, किमी 483.02 से किमी 483.85 तक के खंड को नई स्वीकृति के माध्यम से उक्त खंड के विकास के लिए छोड़ दिया गया है।

थिरुमुक्कु, चथानूर में, किमी 506+670 पर एक एसवीयूपी (7 मीटर x 4 मीटर) का निर्माण किया गया है, इसके अतिरिक्त किमी 507+765 पर एक फ्लाईओवर बनाया गया है, जो 1 किमी से भी कम दूरी पर है, और किमी 504+558 पर एक वाहन अंडरपास बनाया गया है, जो स्थानीय यातायात आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए दोनों ओर सर्विस रोड से जुड़ा हुआ है।

*****